

मध्य प्रदेश राज्य ने हद्दू वदियार्थियों को मदरसों में नामांकन लेने से प्रतबिंधति कयिा चर्चा में क्योँ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा वनियिमति या सरकारी सहायता प्राप्त **मदरसों** में हद्दू वदियार्थियों के नामांकन पर रोक लगा दी है

प्रमुख बदिु:

- राज्य के मदरसे कथति तौर पर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लयि हद्दू वदियार्थियों के फरजी नामांकन कर रहे थे, जसिके कारण यह नरिणय लयिा गया।
 - जाँच में पाया गया क हज़ारों हद्दू वदियार्थियों का मदरसों में नामांकन कयिा गया है, जो केवल कागज़ों पर चल रहे थे।
- प्राधकारियों के अनुसार, यद वदियार्थी नाबालगि हैं तो मदरसे उन्हें अथवा उनके माता-पतिा की लखिति सहमतिके बनिा धार्मकि गतविधियों या धार्मकि अधयन में भाग लेने के लयि बाध्य नहीं कर सकते।
 - मदरसा, सरकारी सहायता प्राप्त और नजिी संस्थानों सहति सभी संस्थानों को **नई शकिषा नीति 2020** के प्रावधानों का पालन करना होगा।

नई शकिषा नीति (New Education Policy- NEP) 2020

- **NEP 2020** का उद्देश्य भारत की उभरती वकिस आवश्यकताओं से नपिटना है।
- इसमें शकिषा प्रणाली में व्यापक बदलाव, इसके नयिमन और प्रबंधन सहति, की मांग की गई है, ताक एक आधुनकि प्रणाली स्थापति की जा सके, जो भारत की सांस्कृतकि वरिसत और मूल्यों का सम्मान करते हुए **सतत वकिस लक्ष्य 4 (SDG 4)** सहति 21वीं सदी के शैक्षकि लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शकिषा नीति, 1986, जसि 1992 में संशोधति कयिा गया था (NPE 1986/92) का स्थान लेती है।